



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1153]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2003/पौष 5, 1925

No. 1153]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2003/PAUSA 5, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1468(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा कृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 12 की उपधारा (ळ) के अनुसरण में निदेशक, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, स्कोप कम्प्लैक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 और महानिदेशक, मिलावट रोधी कक्ष, संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को एतद्वारा उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. पी-11013/8/2003-वितरण]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1469(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 8 की उपधारा (३) के अनुसरण में निदेशक, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, स्कोप कम्प्लैक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 और महानिदेशक, मिलावट रोधी कक्ष, संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को एतद्वारा उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. पी-11013/8/2003-वितरण]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1468(E).—In pursuance of sub-clause (e) of Clause 12 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the Central Government hereby specifies the Director, Petroleum Planning and Analysis Cell, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and the Director General, Anti Adulteration Cell, Sanrakshan Bhavan, 10, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 to collect information under the provisions of said Order.

[F. No. P-11013/8/2003-Dist.]

A.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1469(E).—In pursuance of sub-clause (3) of Clause 8 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles) Order, 2001, the Central Government hereby specifies the Director, Petroleum Planning and Analysis Cell, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and the Director General, Anti Adulteration Cell, Sanrakshan Bhavan, 10, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 to collect information under the provisions of said Order.

[F. No. P-11013/8/2003-Dist.]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1470(अ).—केन्द्रीय सरकार किरोसिन (उपयोग पर सुरक्षा-न्यूनता और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश, 1993 की धारा 7 की उप-धारा (गे.) के अनुसरण में निदेशक, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, स्कोप कम्प्लैक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 और महानिदेशक, मिलावट रोधी कक्ष, संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को एतद्वारा उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. पी-11013/8/2003-वितरण]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1470(E).—In pursuance of sub-clause (c) of Clause 7 of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, the Central Government hereby specifies the Director, Petroleum Planning and Analysis Cell, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and the Director General, Anti Adulteration Cell, Sanrakshan Bhavan, 10, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 to collect information under the provisions of said Order.

[F. No. P-11013/8/2003-Dist.]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1471(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अनुसरण में और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 2003 के सा.का.नि. 275(ङ) के अधिक्रमण में निदेशक, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, स्कोप कम्प्लैक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 और महानिदेशक, मिलावट रोधी कक्ष, संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को एतद्वारा उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. पी-11013/8/2003-वितरण]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1471(E).—In pursuance of sub-clause (4) of Clause 8 of the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, in supersession of the Ministry of Petroleum and Natural Gas Order number G.S.R. 275(E), dated the 9th April, 2002, the Central Government hereby specifies the Director, Petroleum Planning and Analysis Cell, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and the Director General, Anti Adulteration Cell, Sanrakshan Bhavan, 10, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 to collect information under the provisions of said Order.

[F. No. P-11013/8/2003-Dist.]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.